बिहार सरकार
शिक्षा विभाग,
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
::आदेश::

पटना, दिनांक 13/03/2026

संचिका संख्या–07/मु0–01–452/2025–1028/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-1075/2023 मो० इस्लाम एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–07.10.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–07.10.2025 को न्यायादेश पारित की गई, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

".... At this juncture, learned Advocate for the petitioners submitted that even in the year 2024 some of the candidates whose certificates have been found forged and fabricated, they have been ousted and in place of those candidates, other eligible candidates have been selected. He thus submitted that for redressal of their rievance, the petitioners may be permitted to approach before respondent no.2 with regard to genuiness of their certificates.

. In view of the submission advanced by the learned Advocate for the petitioners, the present writ petition stands disposed off with liberty to the petitioners to approach before respondent no.2 for redressal of their grievance..."

3. माननीय न्यायालय द्वारा याचिका सं0–1075/2023 मो० इस्लाम एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक– 07.10.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में वादीगण को सुनवाई का मौका देते हुए दिनांक–18.11.2025, दिनांक– 12.01.2026 दिनांक– 19.01.2026, दिनांक–27.01.2026 तथा दिनांक–02.02.2026 को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया परन्तु वादीगण सभी सुनवाई में अनुपस्थित रहे।

4. वादीगण में से श्री प्रमोद कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में अंकित किया गया है कि कि वे गॉधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, उत्तर प्रदेश से B-T-C की डिग्री सत्र–1993–95 में प्राप्त किये। उनका Category BC-II है। लेकिन बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित सूची में उनका सत्र–1995–97 कर दिया गया तथा कोटि BC-II के जगह पर BC कर दिया गया था जिसके कारण 34540 कोटि में सहायक शिक्षक की बहाली प्रक्रिया में वे वंचित रह गये।

5. विषयगत वाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं0–210/2010 से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि वादीगण का B-T-C (प्रमाण पत्र) गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, उत्तर प्रदेश से निर्गत है। जिसकी मान्यता नहीं रहने के कारण वादी की नियुक्ति नहीं हो पायी है।

6. वादीगण का कथन है कि गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, उत्तर प्रदेश से B-T-C (प्रमाण पत्र) प्राप्त करने वाले कुछ अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी है। किन्तु पहली सूची के बाद प्रकाशित दूसरी एवं तीसरी सूची में भी वादी का नाम शामिल नहीं किया गया।

7. अंकनीय है कि गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों से संबंधित विवाद SLP (c) No 20181/2010 राजेश रौशन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–10.01.2011 को पारित आदेश में यह स्पष्ट कर दिया

1

गया था कि गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, उत्तर प्रदेश से B-T-C (प्रमाण पत्र) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का किसी भी सरकारी नियुक्ति में किया गया दावा मान्य नहीं होगा। उक्त आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

".....In our opinion, there is no merit in the petitioner's challenge to the order of the Division Bench. A perusal of rule 8 of the 2006 Rules shows that for appointment to the post of the Block Teacher a candidate must have passed higher secondary/intermediate or an equivalent examination from a recognized government institution and must have two years Teachers Training Diploma or Certificate or Bachelor of Elementary Education or Bachelor of Education or equivalent degree awarded by an institution recognized by the NCTE. It is neither the pleaded case of the petitioner nor any evidence has been produced before this Court to show that the Training Certificate possessed by the petitioner has been recognized by the NCTE. Therefore, he was not qualified to be appointed as Block Teacher and the action initiated by the competent authority for cancellation of his appointment cannot be termed as illegal per se....."

8. उक्त आदेश के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–398 दिनांक –26.03.2013 निर्गत है, जिसके द्वारा गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर नियुक्ति के लिए अवैध करार किया गया। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी अन्य शैक्षणिक नियुक्तियों में गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की मान्यता स्वीकृत नहीं है।

9. वादीगण का कथन है कि समानान्तर प्रमाण पत्रों को धारण करने वाले अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके साथ भेद–भाव है, के जवाब में विभाग का यह पक्ष है कि ऐसी सारी नियुक्तियाँ एस0एल0पी0(सी0) 26824/2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक –18.07.2013 को पारित आदेश के अनुपालन में है। उक्त आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

".....We make it clear that none of the persons appointed out of the 34540 vacancies should be disturbed in any way...."

10. उक्त पारित न्यायादेश के विरूद्ध वैसे अभ्यर्थियों की पुनर्नियुक्ति की गई जिनकी नियुक्ति पूर्व में हो चुकी थी, परन्तु किसी कारणवश उनकी नियुक्ति रद्द कर दिया गया था।

11. अंकनीय है कि वादी मो0 इस्लाम एवं अन्य की नियुक्ति कभी की ही नहीं गई।

12. अतएव SLP (c) No 20181/2010 राजेश रौशन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–10.01.2011 को पारित आदेश के आलोक में वादीगण के दावे को अस्वीकृत किया जाता है।

उक्त अभिमत के साथ मामले को निष्पादित किया जाता है।

(विक्रम चिरकुर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु0–01–452/2025.....1028..... पटना, दिनांक 13/03/2026

प्रतिलिपिः– 1. मो0 इस्लाम, पिता–मो0 हबीब, गॉव–गोवलपारा, पो0+थाना–गोवलपारा, जिला–मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

2. श्री रामानन्द साह, पिता–स्व0–गुलाब दास, गॉव–विश्वारी, पो+थाना–गोवलपारा, जिला–मधेुपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

3. श्री प्रमोद कुमार, पिता–विदेश्वरी प्रसाद यादव, गॉव–विश्वारी आरा, पो+थाना–गोवलपारा, जिला–मधेुपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

4. कालानन्द दास, पिता–स्व0 कृष्णा दास, गॉव–साहपुर, पो0–ग्वालपारा, जिला–मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।
09/03/26

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–452 / 2025 1028 पटना, दिनांक 13/03/2026 09/03/26

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/03/26
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।